न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिंह पुरोहित (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 178 सन 2019
अनवान :–

1. दयाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र नानकराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. महेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्रहाण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 04/09/2019

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 888 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 के खसरा न0 297/5.7160हैक , खसरा न0 461 की 0.5940हैक कुल 6.3100हैक भूमि जिसमें सयुक्त तौर से 1/3 हिस्से के ओमप्रकाश पुत्र नानकराम खातेदार काश्तकार है

रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 363/214 के खसरा न0 459/2 की 9.5860हैक खसरा न0 1104/2 की 1.9600हैक कुल 11.5460हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 364/68 के खसरा न0 381/2 की 0.8470हैक व खसरा न0 382 की 2.5280हैक कुल 3.3780हैक भूमि तीनों खातो में ओमप्रकाश पुत्र नानकराम सयुक्त तौर से 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार है रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 115/65 की कुल तादादी 3.3760है व खाता संया 115/65 की कुल 5.3740है व रोही भोजा खूईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक भूमि सयुक्त तौर से हिस्से में आई है।

उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 , का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

अर्थात रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक , खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ,3 प्रतिवादी संख्या 1 के बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 के हक हिस्सा की भूमि का उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनो तक तो आज कल आजकल करता रहा अन्त में इन्कार हो गया इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 चारो के नाम बहिब दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर कोड नं. 16296

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने अपने जवाब में अंकित किया की वादीगण पैतृक भूमि स्वय साबित करे एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निरतारण किया जाता है तो राज्यपक्ष को ऐतराज नही है जवाब शामिल मिलस किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपने बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

अर्थात रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक , खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780है एवं रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि में वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अकित तथ्यों को दोहराते हए निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक होना साबित होने पर साक्ष्य सबुतों के आधार पर डिक्री किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक , खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780है एवं रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा नानकराम एवं पडदादा टिकू के नाम से दर्ज थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों एवं भू0प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दीयों से पूर्णत्या साबित है वादी के दादा /पडदादा नानकराम एवं टिकू के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो प्रस्तुत जमाबन्दी से पूर्णत्या साबित है। उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा नानकराम एव पडदादा टिकू के नाम से दर्ज थी जो प्रस्तुत जमाबन्दीयों से पुर्णत्या साबित है।

इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड से पूर्णत्या साबित है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा /पडदादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है। पैतृक सम्पति में हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौतों/पौतीयों का बराबर का हक हिस्सा होगा जिसे प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा भी पेश किया है।

इसप्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक , खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3780है एवं रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 115/85 की कुल 6.3740 व रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/9/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. दयाराम पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र नानकराम जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
2. महेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति ब्रहाम्ण निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर। प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 178 सन 2019 निर्णय दिनांक– 4/9/19

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 362/215 की कुल 6.3100हैक. खाता संख्या 362/214 की कुल 11.5460हैक्एवं खाता संख्या 362/68 की कुल 3.3760है एवं रोही मौजा चेनपुरा के खाता संख्या 116/65 की कुल 6.3740 व रोही मोजा खुईया के खाता संख्या 231/196 की कुल 7.6030हैक व रोही मौजा राणीसर के खाता संख्या 124/70 की कुल 25.3940हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 तीनों बहिव के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/9/19 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner